Title: Need to amend the order issued on 5 November, 2001 by Ministry of Fertiliser to avoid closure of fertiliser units in the country.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उर्वरक मंत्रालय द्वारा यूरिया की नीति की घोाणा होनी है, लेकिन उस घोाणा के पहले ही नई नीति के शीघ्र घोाित होने के बावजूद भी एक अन्तरिम आदेश जारी करके यूरिया के उपयोग, नीति और नियम में जल्दबाजी में संशोधन कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप देश के कई उर्वरक कारखाने, विशेा तौर से यूरिया बनाने वाले कारखाने बन्द होने के कगार पर हैं। कानपुर में भी एक डंकन इंडस्ट्री है, जिसमें करीब 15 हजार एम्पलाइज कार्य करते हैं। वह भी बन्द होने के कगार पर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारत सरकार को निर्देशित करें कि जिस कम्पनी पर जितना भी बकाया हो, उसको किस तरीके से वसूला जाये, इसकी कोई नीति बनाकर उनसे वसूल करें। मैं यह नहीं चाहता कि भारत सरकार का कोई भी धन किसी कम्पनी पर बकाया रहे, लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में 15-15, 20-20 हजार एम्पलाइज काम कर रहे हैं, उन इण्डस्ट्रीज को अगर इस तरीके से बन्द कर दिया जायेगा, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन लोगों ने क्लोजर की नोटिस दे दी है। सबसे बड़ा नुकसान कानपुर में यह है कि यह कम्पनी वहां 30-35 करोड़ रुपये प्रतिमाह कैस्को को बिजली के बिल का भुगतान करती है। अगर उसने बिजली के भुगतान को बन्द कर दिया तो कानपुर पूरा अंधेरे में डूब जायेगा और 15 हजार एम्पलाइज बेकार होंगे।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उर्वरक मंत्रालय को यह निर्देशित करें कि किसी भी हालत में इन यूनिटों को बन्द न होने दिया जाये, जिससे कि मजदूर बेरोजगार न होने पायें।